

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, उच्चैन (भरतपुर)

मयंक वगै० बनाम विमलेश

किस्म मुकदमा दावा धारा 88,89,188 आर.टी.ए. नं०.....2.....सन् 2025

हुकम तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
28.05.2025	<p>वादी/वादीगण ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 के तहत पेश किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 30.06.2025 को पेश हो।</p> <p><i>Thank</i></p>	
30/6/2025	<p>पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसर दिनांक 05/08/2025 को पेश हो।</p>	
30/7/25	<p>आपने पत्रावली वादीगण के तलबी पर पत्र पेश हुई। वादीगण ने अपने अधिवक्ता वकल पत्र पत्र प्रकरण को विद्वे विद्वे पत्र आकर पेश किया है 1000 पत्र हैं। पत्र पत्र का हावलाकाग किया गया। वादीगण को भुगतान किया वादीगण के विद्वे पत्र के आधार पर उक्त प्रकरण को विद्वे विद्वे पत्र की हावलाकाग की जाती है। पत्रावली के लिए भुगतान है मगर है एक होकर हावलाकाग उपर है।</p> <p><i>Thank</i></p>	<p>अर्चना गंगा</p>